रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937
No. 592] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2015

सं. 20/2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 736(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19 के उप-नियम (2) के साथ पठित उप-नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतदद्वारा टैग, लेबल, मुद्रित बैग, स्टीकर, बेल्ट, बटन, और हैंगर (एतश्मिन पश्चात जिन्हें "विनिर्दिष्ट माल" से संदर्भित किया गया है), जो कि निर्यातोन्मुखी उपक्रमों (एतश्मिन पश्चात जिन्हें "ईओयू" से संदर्भित किया गया है) में उत्पादित या विनिर्मित हों और जिन्हें घरेलू टैरिफ क्षेत्र (एतश्मिन पश्चात जिन्हें "डीटीए" से संदर्भित किया गया है) एकक को शुल्क का भुगतान किए बिना क्लियर कर दिया गया हो, उनका भारत से बाहर निर्यात करने के लिए (एतश्मिन पश्चात जिन्हें "विनिर्दिष्ट उद्देश्य" से संदर्भित किया गया है), विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 6.09 (छ) की दृष्टि से जैसे मदों की आपूर्ति से संबंधित शर्त, रक्षोपाय और प्रक्रियाओं को अधिसूचित करती है, यथा :-

1. **शर्तें :-**

i. ईओयू वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 26 जून, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुबंध-1 में विनिर्दिष्ट फार्म में क्षेत्राधिकार प्राप्त उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को ऐसे विनिर्दिष्ट माल पर लागू होने वाले शुल्क की बराबर राशि का एक सामान्य बंधपत्र तथा 5 प्रतिशत बैंक गारंटी या नकद प्रतिभूति जमा करेगा;

ii. ऐसे विनिर्दिष्ट माल को ऐसे विनिर्दिष्ट उद्देश्य में प्रयोग किए जाने के पश्चात उस तारीख के 6 महीने के भीतर जिस तारीख को इसे ईओयू से क्लियर किया गया था या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसे कि उप या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क किसी विशेष मामले में स्वीकृति दे, निर्यात किया जाएगा;

iii. डीटीए निर्यातक द्वारा फाइल किए गए शिपिंग बिल में, समर्थनकर्ता विनिर्माता के रूप में ईओयू के नाम और आईई कोड सहित डीटीए निर्यातक का नाम और आईई कोड होना चाहिए;

iv. डीटीए निर्यातक, निर्यात किए गए कन्साइनमेंट की फ्राइट ऑन बोर्ड (एफओबी) कीमत में से विनिर्दिष्ट वस्तुओं की कीमत को घटाकर निर्यात प्रोत्साहन के लिए आवेदन करेगा।

2. विनिर्दिष्ट वस्तुओं को बनाने वाले ईओयू द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :-

i. बैंक गारन्टी अथवा नकद प्रतिभूति जैसा भी मामला हो के साथ बांड प्रस्तुत करने के पश्चात ईओयू को डीटीए विनिर्माता अथवा प्रोसेसर जैसा भी मामला हो, को ड्यूटी का भुगतान किए बिना वस्तुओं की निकासी की अनुमति है;

ii. ईओयू यह सुनिश्चित करे कि डेबिट इन बांड लेखा उसमें उपलब्ध क्रेडिट से किसी भी समय अधिक नहीं होगा;

3. वस्तुओं का निर्यात :-

i. डीटीए निर्यातक, निर्यात वस्तुओं के हिस्से के रूप में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का निर्यात करेगा। डीटीए निर्यातक द्वारा निर्यात के लिए फाइल किए गए शिपिंग बिल में समर्थनकारी विनिर्माता के रूप में ईओयू का नाम और पता, विनिर्दिष्ट वस्तुओं का ब्यौरा जैसे कि उनका विवरण, मात्रा, कीमत इत्यादि होगी और उस इनवाइस संख्या संदर्भ भी होगा जिसके अंतर्गत उक्त विनिर्दिष्ट वस्तुएं ईओयू से प्राप्त की गई थीं। इन विनिर्दिष्ट वस्तुओं की कीमत, ईओयू से हटाई गई इन वस्तुओं की कीमत से कम नहीं होनी चाहिए :

बशर्ते कि फाइल किए गए शिपिंग बिल में किसी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रलाभों का दावा किए जाने के मामले में, निर्यात किए गए कन्साइनमेंट की एफओबी कीमत में, ऐसे प्रलाभों का दावा करने के प्रयोजन से ईओयू से खरीदी गई विनिर्दिष्ट वस्तुओं की कीमत शामिल नहीं होगी;

ii. ईओयू, विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात के सत्यापन के प्रयोजन से क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अधीक्षक को, शिपिंग बिल (ईपी प्रति) की प्रमाणित फोटो प्रति, इनवाइस की सीमा शुल्क द्वारा प्रमाणित प्रति और लेडिंग अथवा एयर वे बिल की स्वप्रमाणित फोटो कापी प्रस्तुत करेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उक्त अधीक्षक जिसके अधिकार क्षेत्र में ईओयू आता है, निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात के ब्यौरे को सत्यापित करेगा;

iii. ईओयू द्वारा निर्यात का प्रमाण क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय को, ईओयू से वस्तुओं की निकासी की तारीख के 6 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए;

iv. विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात के प्रमाणन और वे निर्यात की गई वस्तुएं जिनमें उपर्युक्त विनिर्दिष्ट वस्तुएं विहित थीं, के संबंध में प्राप्त भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात विनिर्दिष्ट वस्तुओं की इस प्रकार की आपूर्ति को, विकास आयुक्त द्वारा ईओयू को निर्यात निर्वहन कर दिए जाने के क्रम में माना जाएगा।

4. **कतिपय मामलों में ड्यूटी की वसूली :**

जहां कहीं विनिर्दिष्ट वस्तुएं विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा ईओयू के प्रभारी सहायक अथवा उपायुक्त द्वारा अनुमत्य बढ़ाई गई अवधि के भीतर डीटीए एकक द्वारा प्राप्त नहीं की जाती हैं अथवा डीटीए निर्यातक द्वारा निर्यात नहीं की जाती हैं तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के प्रावधानों के अनुसार ईओयू, इन विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाए जाने वाली ड्यूटी तथा ब्याज और शास्ति यदि कोई हो, को अदा करने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण-1 : संदेह दूर करने के प्रयोजन से एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि विनिर्दिष्ट अवधि को, विनिर्दिष्ट आशय के लिए प्रयोग किया हुआ नहीं समझा जाएगा चाहे विषयगत वस्तुओं की कोई मात्रा गुम हो जाती है अथवा प्राकृतिक कारणों अथवा अपरिहार्य दुर्घटनाओं अथवा खरीद किए जाने के स्थान से डीटीए निर्यातक के स्थान तक परिवहन के दौरान

किसी और अन्य कारणों से खराब हो जाती है और विनिर्दिष्ट वस्तुओं के किसी भी प्रकार के व्यर्थ होने की अनुमित नहीं दी जाएगी और गुम हो गई ऐसी वस्तुओं अथवा खराब हो गई ऐसी वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के प्रावधानों के अनुसार ड्यूटी का भुगतान तथा इस पर कोई ब्याज तथा शास्ति यदि कोई हो, ईओयू द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – 2 इस अधिसूचना के प्रयोजन से –

i. "निर्यातोन्मुखी उपक्रम" का वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उप-धारा 1 के स्पष्टीकरण के खण्ड (ii) में "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम" को दिया गया है;

ii. "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" से अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र और शत-प्रतिशत निर्यात अधोमुखी उपक्रम को छोड़कर भारत से है;

iii. "विदेश व्यापार नीति, 2015-20" से अभिप्राय, केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग और व्यापार मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. 1/2015-2020 के अंतर्गत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 से है;

iv. "विकास आयुक्त" से अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त से है।

[फा. सं. डीजीईपी/ईओयू/04/2015]

थेओदोर तिग्गा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2015

No. 20/2015 -CENTRAL EXCISE (N.T.)

G.S.R. 736(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) read with sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby notifies the conditions, safeguards and procedures for supply of items like tags, labels, printed bags, stickers, belts, buttons and hangers (hereinafter referred as "specified goods") produced or manufactured in an Export Oriented Undertaking (hereinafter referred to as "EOU") and cleared without payment of duty to a Domestic Tariff Area (hereinafter referred to as "DTA") unit in terms of Para 6.09 (g) of Foreign Trade Policy, 2015-20, for the purpose of their exportation out of India (hereinafter referred as "specified purpose"), namely:-

1. Conditions:-

(i) the EOU shall furnish a general bond in the Form specified in Annexure-I to the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 42/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001, as amended from time to time, to the jurisdictional Deputy or Assistant Commissioner of Central Excise in a sum equal to the duty chargeable on the specified goods, with 5% Bank Guarantee or as cash security;

(ii) the specified goods after being used for the specified purpose shall be exported within six months from the date on which such goods cleared from EOU or within such extended period as the Deputy or Assistant Commissioner of Central Excise may in any particular case allow;

(iii) the shipping bill filed by the DTA exporter shall contain the name and I.E. Code of the DTA exporter along with the name and I.E. Code of the EOU as supporting manufacturer;

(iv) the DTA exporter shall apply for export incentives based on the Freight On Board (FOB) value of the consignment exported minus the value of specified goods.

2. Procedure to be followed by EOU manufacturing the specified goods:-

(i) after furnishing a bond alongwith Bank Guarantee or cash security, as the case may be, EOU is permitted to clear goods without payment of duty to DTA manufacturer or as the case may be, processer;

(ii) the EOU shall ensure that the debit in bond account does not exceed the credit available therein at any point of time;

3. Export of goods:-

(i) the DTA exporter shall export specified goods as part of export goods. The shipping bill filed by DTA exporter for export shall also contain name and address of the EOU as supporting manufacturer, details of the specified goods, like their description, quantity, value, etc., and reference of invoice number under which the said specified goods were received from the EOU. The value of the specified goods should not be less than the value of these goods removed by EOU:

Provided that in case of shipping bill filed claiming the benefits under any export promotion scheme, the FOB value of consignment exported shall exclude the value of specified goods procured from EOU for the purpose of claiming such benefits;

(ii) the EOU will submit attested photocopy of the shipping bill (EP copy), Customs attested copy of invoice and self-attested photocopy of bill of lading or air way bill to the jurisdictional Central Excise and Customs Superintendent for verification of export of the specified goods. The said Superintendent of Central Excise having jurisdiction over EOU shall verify the details of export of the specified goods with reference to the document submitted by exporter;

(iii) the proof of export should be submitted by the EOU to the jurisdictional Central Excise Office within a period of six months from the date of clearance of goods from the EOU;

(iv) on submitting certification of export of specified goods and proof of payment received for the exported goods in which the said specified goods were contained such supplies of specified goods shall be taken into account for counting towards discharge of export obligation of the EOU by the Development Commissioner.

4. Recovery of duty in certain cases:-

Where the specified goods are not received by the DTA Unit or are not exported by the DTA exporter within the specified period or the extended period as permitted by the Assistant or Deputy Commissioner in charge of EOU, the EOU shall be liable to pay the duty leviable on such specified goods alongwith interest and penalty, if any, in accordance with the provisions of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

***Explanation* 1.-** For the removal of doubts, it is hereby clarified that the specified goods shall be deemed not to have been used for the specified purpose even if any of the quantity of the subject goods is lost or destroyed by natural causes or by unavoidable accidents or for any other reasons during transport from the place of procurement to the DTA exporter and no wastage of the specified goods shall be allowed and duty on such goods lost or destroyed shall be payable by the EOU, alongwith interest and penalty, if any, in accordance with provisions of Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

***Explanation* 2.-** For the purpose of this notification,-

(i) "Export Oriented Undertaking" has the same meaning as assigned to "hundred per cent.export oriented undertaking" in clause (ii) to the Explanation of sub-section (1) of section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);

(ii) "Domestic Tariff Area" means India except Special Economic Zone and hundred per cent. export oriented undertakings.

(iii) 'Foreign Trade Policy, 2015-20' means Foreign Trade Policy, 2015-20 notified by the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry vide Notification No. 1/2015-2020, dated the 1st April, 2015 and as amended from time to time;

(iv) "Development Commissioner" means Development Commissioner of Special Economic Zone.

[F. No. DGEP/EOU/04/2015] ,

THEODORE TIGGA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.